

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 33 / 2017 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

पता:- 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. राम गोपाल (ऋणी एवं बंधककर्त्ता)
पता:- मकान नं. 42, पुरोहितो की गली, वार्ड नं. 112, ग्राम- रामगढ़, तहसील-फतेहपुर,
जिला सीकर, राजस्थान-331024
दूसरा पता:- पट्टा नं.- 199, वाड नं.- 199, खण्डावाटी, जिला सीकर, राजस्थान।
2. विमला देवी पत्नी प्रदीप कुमार (सहऋणी)
पता:- मकान नं. 42, पुरोहितो की गली, वार्ड नं. 112, ग्राम- रामगढ़, तहसील-फतेहपुर,
जिला सीकर, राजस्थान-331024
3. प्रवीण पारीक पुत्र प्रदीप कुमार (सहऋणी)
पता:- मकान नं. 42, पुरोहितो की गली, वार्ड नं. 112, ग्राम- रामगढ़, तहसील-फतेहपुर,
जिला सीकर, राजस्थान-331024
4. मनीष कुमार पुत्र प्रदीप कुमार (सहऋणी)
पता:- 114, कल्याण जी मन्दिर, वार्ड नं.-14, ग्राम- रामगढ़, तहसील- फतेहपुर, जिला- सीकर,
राजस्थान- 331024
5. पवन कुमार पुत्र गिरधारी लाल (जमानती)
पता:- मकान नं. 235, बस स्टेण्ड के पास, बलाई मौहल्ला, दूजोद, जिला सीकर, राजस्थान।
अप्रार्थीगण

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

निर्णय

निर्णय दिनांक: 19 दिसम्बर, 2017

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेश शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण प्रदीप कुमार, विमला देवी, प्रवीण पारीक, मनीष कुमार, पवन कुमार को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रदीप कुमार पुत्र स्व. राम गोपाल, की सम्पत्ति जो पट्टा नम्बर- 199, वार्ड

नम्बर-14, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 270 वर्गगज है, को बंधक रखकर 7,50,000/-रूपये (अक्षरे रूपये सात लाख पच्चास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 21.07.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदाम की है।

2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का सर्वोच्च न्यायालय वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 21.07.2017 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण प्रदीप कुमार, विप्लवा देवी, प्रवीण पारीक, मनीष कुमार, पवन कुमार की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास में बंधक प्रदीप कुमार पुत्र स्व. राम गोपाल, की सम्पत्ति जो पट्टा नम्बर-199, वॉड नम्बर-14, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 270 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक: 19 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर